न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छींम्पा, R.A.S.
Camp - 27 G G

वादपत्र संख्या 48/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

रेशमसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगगानगर

...वादी

बनाम

1. गुरदेवसिंह@गुरदयालसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह, जटसिख, सुजावलपुर,
2. गुरमेलसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, सुजावलपुर,
3. श्रीमती सुखजीतकौर धर्मपत्नी श्री बलविन्द्रसिंह आत्मजा श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, संतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
5. शाखा प्रबन्धक, एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा–हिन्दूमलकोट

..प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1से3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–5)

दिनांक 22 जून, 2018

– निर्णय –

वादपत्र के तथ्यों के अनुसार चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 में कुल 4.009 हैक्टर कृषि भूमि वादी के पिता, प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरदेवसिंह@गुरदयालसिंह के नाम पर राजस्व अभिलेखों मे दर्ज है. जो प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है. जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक व हिस्सा बनता है. प्रतिवादी संख्या 3 का वादी से बहुत स्नेह एवं लगाव है जिसके द्वारा मौखिक रूप से अपने हिस्सा का परित्याग किया हुआ है. प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अपने स्वामित्व की पैतृक सम्पत्ति का घरू मौखिक बंटवारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के साथ किया गया तथा प्रश्नगत कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 को बांट दी गयी. मौका पर घरू बंटवारा के अनुसार वादी चक 7 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1(0.189), किला नम्बर 2–3(0.506), किला नम्बर 4/1(0.228), किला नम्बर 7/1(0.190), किला नम्बर 8/2(0.152) हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर पर काबिज चला आ रहा है. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा कथन किया गया कि जब भी वादी चाहेगा, सहमति से बंटवारा वादी के नाम कर देगा इस विश्वास पर वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि में से अपने हिस्सा में प्राप्त कृषि भूमि पर बड़ी मेहनत करते हुऐ काफी व्यय कर सुधार कार्य करवाये गये हैं. कुछ दिवस पूर्व वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम पर दर्ज करवाने हेतु कहा गया, जिस पर पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टालमटोल करता रहा किन्तु दिनांक 20 मार्च, 2018 को वादी का हिस्सा देने से साफ इन्कार कर दिया. इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 वादी को उसका पैतृक हक व न्याय नहीं देना चाहता. ऐसी स्थिति में, उक्त पैतृक सम्पत्ति में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना

Ravi

चाहता है जिसके लिये वादपत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया. यही वादहेतुक वादी को उपलब्ध है. इस प्रकार वादी द्वारा चक 7 बी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 67 के किला नम्बर 1(0.189), किला नम्बर 2–3(0.506), किला नम्बर 4/1(0.228), किला नम्बर 7/1(0.190), किला नम्बर 8/2(0.152) हैक्टर कुल 1.265 हैक्टर कृषि भूमि के खातेदारी घोषणा कर वादी के नाम पर राजस्व अभिलेखों में पृथक लगान कायम कर दर्ज करने का निवेदन किया गया.वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 7 बी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति, चक 7 बी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 21, चक 7 बी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 22 की प्रमाणित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

प्रतिवादी संख्या 1 से 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. प्रतिवादी संख्या 5 की तलबी हेतु जारी सम्मन बाद तामील प्राप्त. जिनके उपस्थित नही आने के परिणामतः प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा स्वयं उपस्थित आकर राजीनामा दिनांक 7 मई, 2018 प्रस्तुत किया गया. वादी की पहचान अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की पहचान अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर द्वारा की गयी. अतिरिक्त वादी के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 6026 1519 6593, प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2643 1693 0213, प्रतिवादी संख्या 2 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 2935 3458 9952, प्रतिवादी संख्या 3 के नाम पर जारी आधार कार्ड संख्या 4439 9892 9499 की स्वः प्रमाणित चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी. अतः राजीनामा प्रमाणित किया गया.

प्रतिवादी संख्या 4 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वादपत्र कैम्प– ओड़की में दिनांक 15 जून, 2018 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार राज्य सरकार के पक्ष को ध्यान में रखते हुऐ निस्तारण करने का निवेदन किया गया.

पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, चक 7 बी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति, चक 7 बी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 21, चक 7 बी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 22 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरदेवसिंह@ गुरदयालसिंह की पैतृक सम्पत्ति है. ऐसी परिस्थति में, विवाद्यकों का निर्धारण अपेक्षित नहीं रहा. पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के समर्थन में साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किये गये. जिनके अनुसार श्रीमती सुखजीतकौर द्वारा यह कथन किया गया है कि प्राकृतिक स्नेहवश प्रश्नगत कृषि भूमि में से वह कोई हक व हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपने हिस्सा का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में करती है.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम, 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझौता के आधार पर वादपत्र डिक्री

किया जाता सकता है. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्वान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है.

अभिलेखीय साक्ष्य स्वरूप चक 7 बी बड़ी के राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति, चक 7 बी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 21, चक 7 बी बड़ी के नामान्तरकरण संख्या 22 से स्पष्ट है कि प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के पैतृक अधिकार उपलब्ध हैं. ऐसी स्थिति में, पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के अनुसार राजीनामा में प्राप्त कृषि भूमि की खातेदारी घोषणा एवं यथा विभाजन करवाने के अधिकारी हैं.

।। आदेश ।।

वादपत्र स्वीकार किया जाता है तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर **वादी श्री रेशमसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह को** – चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 की कुल 4.009 हैक्टर में से 1.530 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरदेवसिंह @गुरदयालसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह को** – चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 की कुल 4.009 हैक्टर में से 1.530 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री गुरमेलसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह को** – चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 की कुल 4.009 हैक्टर में से 0.949 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग किया गया है इसलिये परित्याग विलेख पर लागू स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने पर एवं प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के ऋण से मुक्त होने पर ही निर्णय की कियान्विती की जा सकेगी. यथा डिक्री जारी हो.

आदेश खुले लोक अदालत न्यायालय कैम्प– 27 जी.जी. में आज दिनांक 22 जून, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(श्रीमती रीना छीम्पा)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रीना छीम्पा, R.A.S.

रेशमसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, सुजावलपुर तहसील व जिला श्रीगंगानगर

...वादी

बनाम

1. गुरदेवसिंह / गुरदयालसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह, जटसिख, सुजावलपुर,
2. गुरमेलसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, सुजावलपुर,
3. श्रीमती सुखजीतकौर धर्मपत्नी श्री बलविन्द्रसिंह आत्मजा श्री गुरदेवसिंह, जटसिख, संतपुरा तहसील व जिला श्रीगंगानगर,
4. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.
5. शाखा प्रबन्धक, एम.जी.बी. ग्रामीण बैंक शाखा–हिन्दूमलकोट

..प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 48/2018
अन्तर्गत धारा 53, 88 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा, श्री रोबिन गुम्बर प्रतिवादी संख्या 1 से 3 एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी–4) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादी श्री रेशमसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह को – चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 की कुल 4.009 हैक्टर में से 1.530 हैक्टर कृषि भूमि, **प्रतिवादी संख्या 1 श्री गुरदेवसिंह@गुरदयालसिंह आत्मज श्री सुन्दरसिंह को** – चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 की कुल 4.009 हैक्टर में से 1.530 हैक्टर, **प्रतिवादी संख्या 2 श्री गुरमेलसिंह आत्मज श्री गुरदेवसिंह को** – चक 7 बी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 24 मुरब्बा नम्बर 34 एवं 67 की कुल 4.009 हैक्टर में से 0.949 हैक्टर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जाता है. चूंकि प्रतिवादी संख्या 3 अपने पैतृक अधिकारों का परित्याग किया गया है इसलिये परित्याग विलेख पर लागू स्टाम्प डयूटी एवं पंजीकरण शुल्क का भुगतान करने पर एवं प्रश्नगत कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 5 के ऋण से मुक्त होने पर ही निर्णय की कियान्विती की जा सकेगी.

वाद व्यय शून्य वास्ते....शून्य......खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज...शून्य... ....दर वार्षिक ...शून्य........आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 22 जून, 2018 को जारी की गयी.

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**